प्रेस नोट

थाना बबीना, जनपद झाँसी

दिनांक – 06.09.2026

- **झाँसी पुलिस की साइबर अपराध के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना बबीना की साइबर सेल द्वारा साइबर फ्रॉड में हुई ठगी से पीड़ित के 50,000/- रुपए की धनराशि वापस करायी गयी।**

कृपया अवगत कराना है कि साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर ठगी के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम, उ0प्र0 लखनऊ श्री विनोद के. सिंह के निर्देशानुसार तथा पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जनपद झाँसी पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों की सहायता हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में आवेदक श्री पर्व अग्रवाल पुत्र धर्मप्रकाश अग्रवाल निवासी कृष्णा नगर, आरामशीन, सिमरावारी, थाना बबीना, जनपद झाँसी के साथ हुई साइबर ठगी की कुल धनराशि ₹1,72,800/- के संबंध में साइबर शिकायत संख्या 33104250049753 एवं थाना बबीना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 091/2026, धारा 318(4) बीएनएस व 66(D) आईटी एक्ट में त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी (UPI फ्रॉड) की धनराशि में से ₹50,000/- की धनराशि माननीय न्यायालय के आदेश के माध्यम से आवेदक को वापस कराई गई।

साइबर अपराध होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

ध्यान रखें— साइबर फ्रॉड होने के बाद शुरुआती 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण (Golden Hour) होते हैं। तत्काल शिकायत करने से ठगी की धनराशि को होल्ड/फ्रीज कराकर वापस प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है।

बरामद धनराशि - रूपये 50,000/-

पीडित का विवरण - श्री पर्व अग्रवाल पुत्र धर्मप्रकाश अग्रवाल निवासी कृष्णा नगर, आरामशीन, सिमरावारी, थाना बबीना, जनपद झाँसी

बरामद कराने वाली टीम का विवरण-

1. श्री राहुल सिंह राठौर थानाध्यक्ष थाना बबीना जनपद झांसी
2. उ0नि0 अतुल कुमार पाण्डेय थाना बबीना जनपद झांसी
3. का0 1167 अरूण कुमार थाना बबीना जनपद झांसी